

शिक्षक,
शिक्षण विभाग,
राज्य शिक्षण परिषद।

शिक्षक,

राज्य शिक्षण परिषद,
राज्य शिक्षण परिषद,
शिक्षण केंद्र-2 अनुसूचित क्षेत्र, शिक्षण विभाग,
राज्य शिक्षण परिषद।

विषय (7) अनुसूचित

राज्य शिक्षण परिषद 20 जून 2006

विषय :- अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षण सुधार-एक जनशक्ति, राजस्थान को शिक्षण सुधारों से संकलित हेतु अनुसूचित प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

संबंधित विषय को और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह दर्शने का विवेक हुआ है कि उच्च संदर्भित शिक्षण सुधारों को सौकर्यपूर्ण ढंग से संकलित हेतु अनुसूचित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस उच्च सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों को कभीन अपासित नहीं है:-

- (1) शिक्षण की योग्यता, औसत आय का समय-समय पर नवीनीकरण कक्षा जायेगा।
- (2) शिक्षण की प्रथम समिति में शिक्षा विभाग द्वारा शामिल एक सदस्य होगा।
- (3) शिक्षण में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों के लिए सुरक्षित होंगे और सभी सार्वजनिक शिक्षा परिषद/बैथिक शिक्षा परिषद द्वारा संकलित शिक्षण में शिक्षण कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में शिक्षण माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त प्राप्त है तथा शिक्षण को संकलित सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेनिंग्स एंड प्रोवेंशन नई दिल्ली/राजस्थान शिक्षण सुधार नई दिल्ली द्वारा प्रदान की है, तो उस परीक्षा परिषदों से संकलित प्राप्त होने की तिथि से सार्वजनिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रकृत माध्यम तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सम्प्राप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था को शैक्षिक एवं शिक्षण कर्मचारियों का राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भतों से कम वेतनमान तथा अन्य भती नहीं दिये जायेंगे।


MANAGER LPS™
LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
LUCKNOW


PRINCIPAL
Lucknow Public School
Sec.-F, Sahara Estate Road
Jankipuram, Lucknow

(6) कार्यवाही की सेवा शर्तें जारी करके और उन्हें सक्षम प्रथम
सर्वोपर प्राथमिक विद्यालयों के कार्यवाहियों को अनुभव सेवा निर्वाह का लाभ
संप्रदाय करके जायें ।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत जायें संस्था
अनुसंधान करेगी ।

(8) विद्यार्थी का रिजल्ट निर्धारित प्रथम परीक्षाओं में रखा जायेगा ।

(9) उत्तर शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/
परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उत्तर प्रश्नों का उत्तर करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह
पाया जाय कि संस्था द्वारा उत्तर प्रश्नों का प्राधान नहीं दिया जा रहा है अथवा उत्तर
करने में किसी प्रकार की देरी या विधिबद्ध करती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त
अनुसंधान प्रमाण एवं दायित्व ही किया जायेगा ।

भारतीय

(सह. सम.)

अनु. सक्षम।

पुस्तक-2051(1)/15-7-2006 तदनुसंधान

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा विभाग, लखनऊ ।

3- शिक्षा विभाग, निरंजित, लखनऊ ।

4- शिक्षा, आर्य भारतीय विभाग, लखनऊ ।

प्रबंधक, लखनऊ प्रबन्धन स्कूल क्षेत्र-पंच जगदीपुर, लखनऊ ।

5- सचिव, लखनऊ ।

सक्षम से,

(सह. सम.)

अनु. सक्षम।

LPS™

MANAGER

LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
LUCKNOW

PRINCIPAL

Lucknow Public School
Sec.-F, Sahara Estate Road
Jankipuram, Lucknow